

15-11-21

Form No-|||

अज अदालत

फर्द अहकाम
उपखण्ड अधिकारी

(नियम 26)

मुकाम

रायसिंहनगर

सतपाल राम बनाम सरकार

नम्बर 334 सन् 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए |
|------------|---|--|
| 15-11-21 | <p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सिद्धपाल</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/857 दिनांक <u>18.11.21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>G.N.P.</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>PTD (B)</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2025-2028</u> के खाता सं. <u>71</u> में <u>सतपाल शं जागर राम 1/3 हिस्सा</u> के स्थान पर <u>सतपाल राम शं जागर राम</u> <u>1/3 हिस्सा</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सिद्धपाल</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>PTD (B)</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2025-2028</u> के खाता सं. <u>71</u> में <u>सतपाल शं</u> <u>जागर राम 1/3 हिस्सा</u> के स्थान पर <u>सतपाल शं जागर राम 1/3 हिस्सा</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> | |

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
334-G.N.P.

